

(120)



श्री मान् राजस्व मण्डल गवालियर पीठ रीवा संभगा श्रीगा  
म० प्र०



Rs 10/-

आंकड़े के श्री बधान नाम  
करेल कार्य ग्रहित  
16-11-16 1m

R 5499-II/16

- 1- हरिवंश पटेल तनय श्री बैजनाथ पटेल
  - 2- रामकैलाश पटेल तनय श्री हरिवंश पटेल
  - 3- छोटेलाल पटेल तनय श्री हरिवंश पटेल
  - 4- अशोक कुमार पटेल तनय श्री हरिवंश पटेल
  - 5- बेबा मुन्नी पत्नी श्री गुरुदयाल पटेल
  - 6- बेबा दुअसिया पत्नी श्री धर्मदास पटेल,
  - 7- गौरव कुमार पटेल तनय श्री धर्मदास पटेल
  - 8- महेन्द्र कुमार पटेल तनय श्री धर्मदास पटेल
  - 9- राम जी पटेल तनय श्री उदयभान पटेल
  - 10- बंसन्तलाल पटेल तनय श्री उदयभान पटेल
  - 11- रामसुचित पटेल तनय श्री त्रिवेणी पटेल
  - 12- हीरामणि पटेल तनय श्री त्रिवेणी पटेल,
  - 13- लोकमणि पटेल तनय श्री त्रिवेणी पटेल
  - 14- रामकृष्ण पटेल तनय श्री बैजनाथ पटेल
- सभी निवासी ग्राम बहेरा तहसील सिंहावल जिला सीधी  
म० प्र०

----आवेदक गण / अपीलान्ट गण

बनाम

- 1- प्रभुनाथ जोगी, तनय श्री सनेही उर्फ रामसनेही जोगी,
- 2- दयानाथ जोगी तनय श्री सनेही उर्फ रामसनेही जोगी  
स्थायी निवासी ग्राम दादर तहसील हनुमजा जिला रीवा
- म० प्र०
- 3- शासन म० प्र०

----अनावेदक गण / उत्तरबादी गण

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री अपर  
कलेक्टर जिला सीधी म० प्र० रा०  
प्रकरण क० 30/ अपील/15-16 आदेश  
दिवांक 19/9/16 जुताविक धारा 50  
म० प्र० भू० रा० संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

ठिगरानी के आधार निम्नलिखित है।

- 1- यह कि अधी० व्यायालय की आज्ञा निधि एवं प्रक्रिया के  
बिरुद्ध है।

बैंकलाल घेल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

रण क्रमांक R. 5499 - द्वा। 1.6 जिला—*इंदौर*

साइबर पेटल कोड़ी विरुद्ध प्रक्रिया जोगा

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <i>वसंतलाल पटेल</i> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी <i>कमिशनर</i> / अपर कलेक्टर, जिला <i>इंदौर</i> के प्रकरण क्रमांक <i>30। अप्रील। 15। 18</i> में पारित आदेश दिनांक <i>19-9-18</i> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <i>7-3-19</i> को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>W</i> सदस्य</p> <p><i>A</i> <i>JM</i></p>	

प्रस्तुत लिख अधीक्षा न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है।

*R. S. P. T.* *वसंतलाल पटेल*